न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील संख्या 87/2026

दीपक अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्द अग्रवाल, निवासी मित्र निवास कॉलोनी, किशनगढ़, जिला अजमेर।

–– अपीलार्थी/प्रार्थी

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अजमेर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, अजमेर।

–– प्रत्यर्थीगण–अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 6 सी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.01.2026 जो श्री लोक बन्धु, जिला कलक्टर, अजमेर, द्वारा सुपुर्दगीनामा प्रार्थना–पत्र संख्या 30/2025 तथा 04/2026 व 3ए/2026 राज. सरकार बनाम पुनीत यादव व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थित

1– श्री अशोक सिंह रावत व श्री खिंया सिंह रावत, विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री जे.पी.शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक, प्रत्यर्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक–23.03.2026**

1. यह फौजदारी अपील अपीलार्थी–प्रार्थी दीपक अग्रवाल द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर द्वारा सुपुर्दगीनामा प्रार्थना–पत्र संख्या 30/2025 तथा 04/2026 व 3ए/2026 राज. सरकार बनाम पुनीत यादव व अन्य सुपुर्दगीनामा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2026 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 01.10.2025 को पुलिस द्वारा अवैध पट्रोलियम पदार्थ के कारोबार के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर नीरज कुमार जैन, जिला रसीद अधिकारी (द्वितीय), अजमेर व अन्य को साथ लेकर नौलखा तिराहे के सामने एन.एच.48 के पास श्रीनगर स्थित दशरथ यादव द्वारा संचालित पार्किंग कारोबार स्थल पहुंचे, तो मौके पर श्रवणलाल, सहायक उपनिरीक्षक आई.सी.पुलिस थाना श्रीनगर मय जाब्ता उपस्थित मिले। श्रवणलाल ने तहरीर प्रस्तुत कर सूचित किया कि

Authenticated Document

जरिये उच्चाधिकारियों व डी.एस.टी. से सूचना मिली कि नौलखा तिराहे के पास एन.एच. 48 के सामने यादव पार्किंग श्रीनगर में अवैध बायो डीजल का कारोबार किया जा रहा था, जिस पर डी.एस.ओ.को सूचित किया गया। मौके पर टीनशैड में आठ सफेद टंकियां, 01 चौकोर टंकी व 15 लौहे के ड्रम पाये गये, जिनमें पट्रोलियम पदार्थ भरा पाया। माप करवाने पर 750–750 लीटर क्षमता की 03 टंकियां एवं एक–एक हजार लीटर की दो टंकियों में कुल 4250 लीटर हल्का हरा पीला रंग का डीजल जैसा पट्रोलियम पदार्थ पाया गया तथा 825–825 लीटर क्षमता की दो एवं हजार लीटर क्षमता की एक टंकी में 2650 लीटर गहरा पीला पट्रोलियम पदार्थ पाया गया। एक हजार लीटर क्षमता की चौकोर टंकी में 900 लीटर हरा पीला पट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टीनशैड से निर्मित कमरेनुमा स्थान में मौजूद 1000–1000 लीटर क्षमता की दो प्लास्टिक टंकी एवं 220 लीटर क्षमता के लौहे के ड्रम व 220 लीटर क्षमता की एक प्लास्टिक के ड्रम में कुल 1800 लीटर हल्का हरा पीला पट्रोलियम पदार्थ पाया गया। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पाये जाने पर प्रकरण में वाहनों, पट्रोलियम पदार्थ इत्यादि को जब्त किया। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्रों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा माल के निस्तारण बाबत जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिये गये कि जब्तशुदा माल का निस्तारण नियमानुसार कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावे, का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–प्रार्थी का तर्क है कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2026 मनमाना, अविधिक व गलत है, जो निरस्त होने योग्य है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी–प्रार्थी ने जब्तशुदा माल नियमानुसार अधिकृत विक्रेता होने के कारण क्रय किया है, जिसका बिल दिनांक 27.09.2025 को जारी किया गया है। उक्त बिल में अपीलार्थी–प्रार्थी के द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि का भुगतान किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में जब्तशुदा माल का अपीलार्थी–प्रार्थी एक अधिकृत क्रेता है, जिसके द्वारा गुजरात स्थित मुंद्रा पोर्ट से सुखमानी ऑयल कम्पनी से क्रय किया जाकर अपीलार्थी–प्रार्थी की कम्पनी को सप्लाय किया जाना था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–प्रार्थी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में फर्द के साथ माल का बिल, अधिकृत पत्र, टैक्स इनवाईस आदि की प्रतियां पेश की गई है। उनका यह भी तर्क है कि जब्तशुदा माल का जी.एस.टी. पेड बिल है, जिसमें स्पष्ट रूप से बेस ऑयल होने का अंकन है, जो कि ओद्योगिक क्षेत्र में उपयोग होता है। उनका यह भी तर्क है कि जब्तशुदा माल पट्रोलियम पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। रसद विभाग एवं पुलिस ने बिना एफ.एस.एल. कराये माल मय वाहन को बेस ऑयल के स्थान पर बायो डीजल बताकर झूठा परिवाद पेश किया गया है। अपीलार्थी ने किसी भी प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आलौच्य दिनांक 21.01.2026 को निरस्त करते हुये जब्तशुदा माल अपीलार्थी–प्रार्थी को सुपुर्द किया जावे।

4. उक्त तर्को का विरोध करते हुए विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क पेश किया है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य नहीं होने के कारण, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Authenticated Document

5. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया। अपीलार्थी–प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील व जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया।

6. जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर के द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 21.01.2026 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा माल के निस्तारण बाबत जिला रसद अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया गया है, वह माल का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावे। उक्त आदेश के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–प्रार्थी की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि जब्तशुदा माल के संबंध में अपीलार्थी–प्रार्थी के द्वारा जो कि एक अधिकृत क्रेता है, के द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. का भुगतान करते हुए बेस ऑयल क्रय किया गया है, का अंकन बिल इनवाईस पर अंकित है। जब्तशुदा माल बेस ऑयल न होकर बायो डीजल हो, ऐसी कोई भी ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ना ही दौराने बहस इस बाबत लोक अभियोजक ने कोई ठोस तर्क पेश किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी–प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील निम्नानुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

7. अपीलार्थी–प्रार्थी दीपक अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद अग्रवाल, निवासी अमित कुंज, एस–63, कमाडेन्ड निवास के सामने, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर की ओर से प्रस्तुत यह अपील विरूद्ध जिला रसद अधिकारी व अन्य अन्तर्गत धारा 6 सी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर, जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र संख्या–30/2025 तथा 04/2026 व 3ए/2026 राज. सरकार बनाम पुनीत यादव व अन्य में जब्तशुदा माल के निस्तारण बाबत पारित आदेश को अपास्त किया जाकर, आदेश दिया जाता है कि जब्तशुदा माल के सम्बन्ध में अपीलार्थी–प्रार्थी के द्वारा 28 लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा व इसी राशि का जमानतनामा पेश कर तस्दीक करावें तो उसे प्रकरण में जब्तशुदा माल लौटा दिया जावे।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर।

8. निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर।

DINESH MUNDRA
Digitally signed by DINESH MUNDRA
Date: 2026.03.23 17:10:31 +0530

Authenticated Document